(9)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/110

1. आशा पुत्री सत्यपाल जाति गुसांई निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़
2. भवंर पुत्र सत्यपाल जाति गुसांई निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़
3. राजेन्द्र पुत्र सत्यपाल जाति गुसांई निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़
4. सुरेश पुत्र सत्यपाल जाति गुसांई निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़
5. कान्ति पत्नि स्व. सत्यपाल जाति गुंसाई निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़
6. ओमप्रकाश पुत्र प्रहलाद जाति गुंसाई निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़
7. प्रेमशंकर पत्र प्रहलाद जाति गुंसाई निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़
8. सतीश पुत्र प्रहलाद जाति गुसांई निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़

––अपीलांट

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र प्रहलाद जाति गुंसाई निवासी मेवाती मोहल्ला मदिना मस्जिद के पास इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.
2. उप पंजीयक इन्द्रगढ़, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.
3. राज. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री बालकिशन रायका, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 31.07.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 74/2024 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांटगण ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि खाता संख्या नई 105, पुरानी 102 के खसरा नम्बर 878 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 879 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.08 हैक्टेयर,

खसरा नम्बर 883 रकबा 0.18 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 888 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 889 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 890 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 891 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 892 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 893 रकबा 0.32 हैक्टर, कुल किता 11 कुल रकबा 3.14 हैक्टर वाके ग्राम अनघोरा पटवार सुमेरगंजमण्डी भु.अभिलेख निरीक्षक सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज. में विस्थित है, जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण 1 लगायत 8 व प्रतिपक्षी संख्या 1 दीनदयाल के नाम सह खातेदारी में अंकित चली आ रही है जिसकी जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है जो दावें का एक भाग है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भुमि के राजस्व रिकार्ड में पूर्व में प्रहलाद पुत्र किशनगिरी जाति गुसाई निवासी अनघोरा के नाम खातेदारी में अकिंत चली आ रही है थी पूर्व मृतक खातेदार प्रहलाद पुत्र किशनगिरी का देहान्त हो जाने के बाद प्रतिपक्षी संख्या 1 दीनदयाल का भी नाम सह खातेदार में प्रार्थीगण के साथ अकिंत कर दिया वास्तविकता में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों नें प्रार्थीगण को बिना सुचना व सुनवाई का अवसर दिये ही प्रार्थीगण के साथ प्रतिपक्षी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में अकिंत कर दिया है जो गैर कानुनी व अनुचित एवं अवैधानिक शुन्य इन्द्राज है। क्योकि मृतक प्रहलाद पुत्र किशनगिरी ने अपने जीवन काल में दिनांक 16.11.1998 को रूबरू गवाहनं एक लिखित में पारिवारिक बंटवारा निष्पादित कर प्रतिपक्षी संख्या 1 दीनदयाल को ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर तहसील पिपल्दा जिला कोटा की कृषि भुमि खसरा नम्बर 464 रकबा 1.27 हैक्टर नहरी प्रथम दी गई थी जिसका उल्लेख हाल इकरारनामा दिनांक 10.05.2022 में रूबरू गवाहन नोटरी पब्लिक से तस्दिक करवा कर निष्पादित किया एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 ने पूर्व बंटवारा के उल्लेख मे अपना हक अधिकार की कृषि भुमि में चारो भाईयों जिनमें सत्यपाल, प्रेमशंकर, औमप्रकश सतीश को ग्राम अनघोरा की सम्पति पारिवारिक बंटवारे में दी गई थी उक्त सम्पति का उपयोग एवं उपभोग प्रार्थीगण, मुताबिक पारिवारिक बंटवारा करते चले आ रहे है इसलिए उक्त कृषि भुमि के तन्हा खातेदार कृषक बन चुके है और प्रतिपक्षी संख्या 1 आडागेला उर्फ हरिनगर की सम्पति में हक व अधिकार कानुनी रूप से बतौर पारिवारिक बंटवारा रहा था उस कृषि भुमि में प्रार्थीगण के अपना हक व अधिकार को छोड दिया था। बतौर पारिवारिक बंटवारा दिनांक 16.11.1998 को दोनों पक्षों के मध्य किया गया था जिससे प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी संख्या 1 आज भी पाबन्द है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भुमि में मृतक प्रहलाद के लीगल वारिस के रूप में प्रतिपक्षी संख्या 1 का नाम आ जाने का फायदा उठा कर उक्त कृषि भुमि को प्रतिपक्षी संख्या 1 रहन बय दान कर हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहा है, जिसका उसकों कोई कानुनी अधिकार प्राप्त नहीं है व प्रतिपक्षी संख्या 1 का वाद विषयक कृषि भुमि पर पारिवारिक बंटवारा के बाद से आज

तक कोई कब्जा काश्त नही रहा है कानुनन राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 63 की सब क्लॉज 2 व 4 के मुताबिक प्रतिपक्षी संख्या 1 का वाद विषयक कृषि भुमि में अपना हक व अधिकार समाप्त हो चुका है एवं सम्पुर्ण कृषि भुमि पर बतौर पारिवारिक बंटवारा दिनांक 16.11.1998 को मुताबिक तन्हा खातेदार कृषक प्रार्थीगण बन चुके है। इसलिए प्रतिपक्षी संख्या 1 का वाद विषयक कृषि भुमि से नाम विलोपित करवाने के कानुनी अधिकारी प्रार्थीगण हो गये है। प्रार्थीगण को कानुनी अधिकार प्राप्त है कि वह खाता संख्या 105 में वर्णित कृषि भुमि खसरा नम्बर 878, 789, 880, 881, 883, 888, 889, 890, 891, 892, 893, कुल किता 11 कुल रकबा 3.14 में वर्णित दीनदयाल पुत्र प्रहलाद का हिस्सा 3/16 राजस्व रिकार्ड में नाम का लाभ लेकर तृतिय पक्षकार के नाम विकय विलेखों पंजीयन प्रतिपक्षी संख्या 2 के कार्यालय से नही करवायें, प्रार्थीगण को कानुनी अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिपक्षी संख्या 1 को पारिवारिक बंटवारा में मिली आडागेला उर्फ हरिनगर के स्थान ग्राम अनघोरा में मिली विरासत राजस्व रिकार्ड को विलोपित करवा कर अपना सम्पुर्ण कृषि भुमि घोषित करवायें यहा उल्लेखित किया जाता है कि शुन्य इन्द्राज को कभी भी सक्षम न्यायालय में घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का वादपत्र प्रस्तुत कर इन्द्राज दुरस्त करवाया जा सकता है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी संख्या 1 को उनके नाम राजस्व रिकार्ड मे से हटवाकर, सम्पुर्ण हिस्से पर प्रार्थीगण का नाम अकिंत करवाये जाने के लिए कई बार निवेदन किया व गलत इन्द्राज को दुरस्त करवाने के लिए कई बार तहसील कार्यालय इन्द्रगढ व राजस्व शिविर में लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भी प्रतिपक्षी संख्या 1 का नाम सह खातेदारी के राजस्व रिकार्ड से विलोपित नही किया, इसलिए अन्तिम बार दिनांक 20.06.2024 को प्रतिपक्षी संख्या 1 से निवेदन करने पर राज्य सरकार ने इन्द्राज दुरस्त नहीं करवाया और जबरन कब्जा करने की धमकी प्रार्थीगण को दी गयी। यही वाद उत्पत्ति का कारण है तबी से लगातार उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थीगण का नाम सम्पुर्ण वादवर्णित कृषि भुमि में सह खातेदार के रूप में सही एवं शुद्ध अकिंत करवाये जाने के कानुनी अधिकारी है। एवं वाद वर्णित कृषि भुमि में प्रार्थीगण का सम्पुर्ण हिस्से पर खातेदार कृषक के रूप में इन्द्राज दुरस्ती से राज्य सरकार व राजस्व विभाग को रेवन्यु का कोई नुकसान नहीं है और नाही कृषि भुमि का स्थानानतारण हो रहा है उक्त वाद में राजकीय अहित नही हो रहा है बल्की प्रार्थीगण को अपना नाम सह खातेदार में सही एवं शुद्ध अकिंत करवाकर इन्द्राज दुरस्ती करवाने का कानुनी अधिकार व हक मुताबिक पारिवारिक बंटवारा से प्राप्त है जिसकों प्रार्थी प्राप्त करने का कानुनी अधिकारी है। वाद विचारण में काफी समय लगने की सम्भवना है यदि दौहराने वाद प्रतिपक्षी सख्या 1 अपने मनसुखें में कामयाब हो गया और वाद विषयक कृषि भुमि को रहन बैचान कर खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पुर्ति किया जाना सम्भव नही होगी । प्रार्थीगण का प्रथम

दृष्टया केस प्रमाणित है सुविधा सन्तुलन का भार एवं अपुर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जावें कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भुमि खाता संख्या 105 के खसरा नम्बर 878, 879, 880, 881, 883, 888, 889, 890, 891, 892, 893, कुल किता 11 कुल रकबा 3.14 हैक्टर वाके ग्राम अनघोरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज. के राजस्व रिकार्ड में प्रतिपक्षी संख्या 1 अपनें नाम का लाभ लेकर प्रतिपक्षी संख्या 2 के समक्ष विकय विलेखों का पंजीयन निष्पादन नही करवायें एवं अर्थात वाद विषय कृषि भुमि को रहन बेचान दान कर खुर्द बुर्द नहीं करें। और ना ही अन्य प्रतिनिधि से करवायें एवं वाद विषयक कृषि भुमि के किसी भी भू–भाग पर आनावश्क रूप से ताकत के बल पर कब्जा नहीं करें इस कदर प्रतिपक्षीगण को जये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो प्राथीगण प्राप्त करने के कानुनी अधिकारी हो प्रदान की जावें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2025 को प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तथाकथित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं विधि विधान के

विपरित होने से निरस्तनीय है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भुमि में वर्णित प्रतिपक्षी संख्या 1 दीनदयाल पुत्र प्रहलाद का हिस्सा 3/16 राजस्व रिकार्ड में नाम का लाभ लेकर तृतिय पक्षकार के नाम विक्रय विलेखों का पंजीयन प्रतिपक्षी संख्या 2 के कार्यालय में नहीं करवायें एवं प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिपक्षी संख्या 1 को पारिवारिक बंटवारा में मिली आडागेला उर्फ हरिनगर के स्थान पर ग्राम अनघोरा में मिली विरासत राजस्व रिकार्ड को विलोपित करवाकर अपना सम्पुर्ण कृषि भुमि पर घोषित करवायें और यहा उल्लेखित किया जाता है कि शुन्य इन्द्राज को कभी भी सक्षम न्यायालय में घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का वाद प्रस्तुत कर रखा है जो साक्ष्य विषय है लेकिन प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही कर अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब प्रार्थनापत्र पर ही विश्वास किया। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी करने की सुरत में निरस्त किये जाने योग्य है। कानुन विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि यदि कोई इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज हो रहा है और उक्त शुन्य इन्द्राज के आधार प्रतिपक्षी संख्या 1 अपने नाम का लाभ लेकर वाद विषयक कृषि भुमि को खुर्द बुर्द करने पर आमदा है तो उसके हिस्से की हद तक रहन, बैचान तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है जिससे अनावश्क पक्षकारों के मध्य लिटीगेशन नहीं पढ़ेगा । जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया एवं प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को अप्राथी संख्या 1 सह खातेदार अकित होने का आधार पर मानकर अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही कर कानुनी भुल की है इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण अपीलाण्ट ने अपने पक्ष में मोखिक साक्ष्य में दो गवाहन के शपथपत्र व दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी व पारिवारिक बंटवारा व इकरानामा नोटरी पब्लिक प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किया जिसकी भी अनदेखी कर अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो काबिले निरस्त होने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2016 पेज 45, आर.आर.डी. 2020 पेज 132, आर.एल.डब्ल्यु. 2015(2) पेज 1090 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.02.25 को निरस्त किए जाने तथा प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भुमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दावे के दौहरान रहन, बेचान नही करने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से खाता संख्या 105 में दर्ज प्रश्नगत खसरा नम्बर 878, 879, 880, 881, 883, 888, 889, 891, 892, 893 कुल किता 11 कुल रकबा 3.14 हैक्टेयर वाके ग्राम अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़ की आराजी के सम्बंध में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी को रहन, बय, दान व खुर्द बुर्द नहीं करने तथा अपीलांटगण को उनके कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 105 की कुल किता 11 रकबा 3.14 हैक्टेयर भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का समान रूप से कब्जा काश्त माना जाता है। अतः संयुक्त खातेदारी की भूमि के सम्बंध में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रत्येक सहखातेदार का समान रूप से निहित होता है। यदि संयुक्त खातेदारी की भूमि में यदि किसी एक पक्षकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो दूसरे पक्षकार के हक अधिकार प्रभावित होते है। अतः ऐसी स्थिति में सहखातेदारी की भूमि में किसी एक पक्षकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। चूंकि वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में समान रूप से निहित है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.2025 में अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं होना मानते हुए प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2025 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अपील संख्या 2025/110

आशा बनाम दीनदयाल

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 74/2024 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2025 यथावत जाता है।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/25

(मुरलीधर प्रतिहार)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा